राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 63 /2021

प्रमोद सिंह पुत्र अगर सिंह उम्र 46 वर्ष जाति दरोगा निवासी वार्ड नं. 09, ढाणी रेखजी की तन जसरापुर तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.) हाल निवास 947, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 23–07–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम जसरापुर पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 243 में प्रार्थी के पिता का नाम अमर सिंह के स्थान पर अगर सिंह तथा प्रार्थी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है। उक्त भूमि की गत जमाबन्दीयों में भी प्रार्थी की जाति राजपूत (दरोगा) दर्ज है तथा प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जसरापुर स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 340 में भी प्रार्थी की जाति दरोगा ही दर्ज है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 243 ग्राम जसरापुर पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम व जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उनजब्ध सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के परदादा मंगेजा कौम दरोगा के नाम पर दर्ज थी, तत्पश्चात् जरिये विरासत उक्त भूमि नत्थूसिंह वल्द मंगेज 1/3 हिस्स नानूसिंह महावीर वल्द सांवत सिंह 1/3 हिस्स अमर सिंह वल्द खेत सिंह 1/3 हिस्स कौम रावणा राजपूत (दरोगा) सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज हुई, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी की प्रति से प्रमाणित है। इसके पश्चात् अमर सिंह के फौत होने पर उक्त भूमि जमाबन्दी सत्वत् 2069–2072 खाता संख्या 309 ख.नं. 2505/815, 2507/819 कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है0 भूमि भंवरसिंह, सुमेरसिंह, रोतान सिंह, प्रभुसिंह, महेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह पि0 अमर सिंह कौम राजपूत (दरोगा) सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज हुई तथा तत्पश्चात् जरिये बंटवारा के नामान्तकरण संख्या 1539 दिनांक 29.01.13 से खाता संख्या 309 भंवर सिंह पुत्र अमर सिंह, खाता संख्या 671 सुमेर सिंह पुत्र अमर सिंह, खाता संख्या 672 रोहतान सिंह पुत्र अमर सिंह, खाता संख्या 673 प्रभूसिंह पुत्र अमर सिंह, खाता संख्या 974 महेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, खाता संख्या 975 प्रमोद सिंह पुत्र अमर सिंह व खाता संख्या 976 भंवर सिंह सुमेर सिंह रोतान सिंह प्रभूसिंह महेन्द्र सिंह प्रमोद सिंह पि0

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अमर सिंह कौम राजूपत (दरोगा) सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई। नामान्तकरण संख्या 1905 दिनांक 07.03.17 से भंवर सिंह पुत्र अमर सिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र अगर सिंह दर्ज हुआ। इस प्रकार अमर सिंह के विधिक वारिसान द्वारा अपना–अपना खाता पृथक करवा लिया और भंवर सिंह ने अपने पिता का नाम अमर सिंह के स्थान पर अगर सिंह दुरूस्त करवा लिया, जो जमाबन्दी में लगे नोट से साबित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी के पिता का नाम विरासत नामांतकरण से दर्ज हुआ है, जिसमें संवहन से प्रार्थी के पिता का नाम अगर सिंह के स्थान पर अमर सिंह दर्ज हो गया एवं बंटवारा के नामान्तकरण संख्या 1539 दिनांक 29.01.13 के दौरान प्रार्थी के पिता की जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत दर्ज हो गई। राजस्व ग्राम जसरापुर पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 243 में प्रार्थी के पिता का नाम अमर सिंह के स्थान पर अगर सिंह तथा प्रार्थी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जसरापुर पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 243 में प्रार्थी के पिता का नाम अमर सिंह के स्थान पर अगर सिंह तथा प्रार्थी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी